



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 222 राँची, गुरुवार, 7 जेष्ठ, 1942 (श०)
28 मई, 2020 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना
28 मई, 2020

संख्या-परि०वि०(स्था०)-124/2015-1168--उपायुक्त, चतरा एवं उपायुक्त कोडरमा द्वारा स्थानीय एवं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क्रमशः श्री राजीव कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा तथा श्री जयपाल सोय, कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रभार दिया गया है। साथ ही आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा श्री निरंजन कुमार, उप निदेशक, कल्याण, द०छो० प्रमण्डल, राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, राँची का प्रभार दिया गया है। संबंधित उपायुक्तों एवं पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा एवं अनुरोध के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारियों को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	जिला का नाम
1.	श्री निरंजन कुमार, उप निदेशक, कल्याण, द०छो० प्रमण्डल, राँची-सह-प्रभारी सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, राँची ।	राँची ।
2.	श्री जयपाल सोय, कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, कोडरमा ।	कोडरमा ।
3.	श्री राजीव कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा ।	चतरा ।

2. उपरोक्त तीनों पदाधिकारी प्रावधानित नियम के तहत वाहनों की जाँच करेंगे एवं दण्ड शुल्क इत्यादि की राशि परिवहन विभाग के लिए कर्णांकित राजस्व संग्रहण संबंधी खाते में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. उपरोक्त तीनों पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अपने जिलान्तर्गत खनन क्षेत्र में अवैध वाहनों के परिचालन की रोकथाम हेतु व्यवसायिक वाहनों की नियमित सघन जाँच हो।

4. उपरोक्त तीनों पदाधिकारी मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वाहनों की जाँच एवं दण्ड अधिरोपण की कार्यवाई करेंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

हरेन्द्र कुमार पाण्डेय
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग ।
